



दिनांक 27/08/2020

## अधिसूचना


विषय— 09 से 18 सितम्बर, 2020 के मध्य स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली विश्वविद्यालयीय प्रवेश परीक्षाओं की हेतु प्रथम वरीयता वाले परीक्षा केन्द्र/शहर (विकल्प-1) में परिवर्तन हेतु अंतिम अवसर का विकल्प।

विश्वविद्यालय द्वारा जून 2020 के तृतीय सप्ताह में उन आवेदकों को अपने प्रथम वरीयता वाले परीक्षा केन्द्र (आवेदन पत्र को भरने के दौरान विकल्प-1) में परिवर्तन के विकल्प का एक अवसर उन अभ्यर्थियों के लिये दिया गया था जो लॉक डाउन के दौरान अपने परीक्षा फार्म भरते समय अपने चुने गये प्रथम वरीयता वाले केन्द्र/शहर (विकल्प-1) से बहुत दूर चले गये हैं तथा जहाँ अब परीक्षा में सम्मिलित होना असुविधाजनक हो सकता है। फिर भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो जून 2020 में प्रथम वरीयता वाले केन्द्र (विकल्प-1) में परिवर्तन का प्रयोग नहीं कर पाये। ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय प्रथम वरीयता परीक्षा केन्द्र (विकल्प-1) में परिवर्तन का एक अंतिम अवसर और दे रहा है। इस हेतु वे निम्नलिखित तरीके से प्रथम वरीयता वाले परीक्षा केन्द्र (विकल्प-1) में परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

1. आवेदकों को अपनी लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके प्रवेश परीक्षा पोर्टल ([www.bhuonline.in](http://www.bhuonline.in)) पर लॉगिन करना है।
2. तत्पश्चात, उन्हें 'centre change' आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद ड्रॉप आउन में टेस्ट शहरों की सूची में से आवेदक को केवल ऐसे एक शहर का चयन करना है, जो आवेदक के वर्तमान निवास के पास है और उसके लिए प्रवेश-परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सुगम व सुविधाजनक है।
3. इस तरह से चयनित टेस्ट सिटी को आवेदक द्वारा आवेदित सभी पाठ्यक्रमों के लिए उस आवेदक की प्रथम वरीयता वाली टेस्ट सिटी माना जाएगा।

### महत्वपूर्ण टिप्पणी

- क. केन्द्र में परिवर्तन का अनुरोध उपरोक्त तरीके से विश्वविद्यालय को 30.08.2020 तक करना होगा। उक्त तिथि के बाद परिवर्तन के लिये अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- ख. विश्वविद्यालय प्रथम वरीयता वाले टेस्ट सिटी (विकल्प-1) में बदलाव के अनुरोध को समायोजित करने का पूर्ण प्रयास करेगा, बशर्ते उस शहर में परीक्षा संसाधनों की उपलब्धता हो। यदि चयनित शहर में परीक्षा संसाधन मौजूद नहीं है, तो आवेदक को उसके द्वारा चयनित शहर से 200 किलोमीटर के दायरे में किसी दूसरे शहर में समायोजित करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- ग. परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन केवल एक बार ही किया जाएगा और एक बार किया गया परिवर्तन ही अंतिम होगा।

  
संयुक्त कुलसचिव (प्रवेश परीक्षा)

